



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012021-224139
CG-DL-E-02012021-224139

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4229]
No. 4229]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4819(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2899(अ) दिनांक 27.08.20, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जालौर जिले में NH-754K के कि.मी. 535.243 से कि.मी. 547.243 (उपखण्ड अधिकारी चितलवाना) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का.आ. 2899(अ) दिनांक 27.08.20 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 03.09.20 को दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जालौर जिले में NH-754K के कि.मी. 535.243 से कि.मी. 547.243 (उपखण्ड अधिकारी चितलवाना) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जालौर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चितलवाना				
	गांव का नाम: देवडा				
1	1354	निजी	गै. मु. ढाणी	0.0123	वादलीदेवी धर्मपत्नी हड़मताराम मोतीराम त्रिकमाराम पि. सवजी कौम पुरोहित सा. देह खातेदार। रहन-त्रिकमाराम का हि. भारतीय स्टेट बैंक शाखा देवडा मुर्तहिना। (1354)
2	1543	निजी	गै. मु. ढाणी	0.0131	नेनाराम पुत्र तुलछीया घमण्डाराम पुत्र प्रह्लादराम भूराराम हीराराम रघुनाथाराम पि. देवाराम धापूदेवी पत्नी देवाराम कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार रहन-नेनाराम का हि. 1/3 शाखा देवडा मुर्तहिना। रहन- देवला का हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक शाखा देवडा। (1543)
3	1549	निजी	गै. मु. बेरा	0.01	दीपा गोमा जोधा मगा पि.रूगा कौम जाट सा.देह खातेदार । रहन -जोधा दीपा का हिस्सा SBI शाखा देवडा । (1549)
	गांव का नाम: निम्बाऊ				

4	333	निजी	चाही दोयम जाव दोयम	0.0219	भूरा पदमा काला पि. धर्मा जोनूराम चमनाराम पि. रूपा कौम कलबी सा. देह खातेदार। रहन- जोनूराम चमनाराम पि. रूपा अखू बेवा रूपाराम का हिस्सा जेसीसीबी शाखा अरणाय। (333)
5	358	निजी	चाही दोयम जाव दोयम	0.0144	फोजाराम गेनाराम ताराराम नानजीराम पि.भूरा मावा वल्द गणेशा प्रभू , लक्ष्मणा पन्ना पि.भगूडा, कसनाराम, करमीराम, मोतीराम पि खेदाराम झम्मूदेवी पत्नि खेदाराम गमनाराम, ओमप्रकश, कृपाराम पि. तेजा मफीदेवी बेवा तेजा, वगताराम, धुखाराम, आसुराम पि. जुठा जाति लुहार सा.देह खातेदार । (358)
			कुल	0.0717	

[फा. सं. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D4]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2020

S.O. 4819(E).—Whereas Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2899(E) dated 27.08.20, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-754K on the stretch of land from Km 535.243 to Km 547.243 (Sub-Divisional Officer Chitalwana) in the district of Jalore in the state of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification S.O. 2899(E) dated 27.08.20 has been published in Dainik Bhaskar and Rajasthan Patrika both dated 03.09.20; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the NH-754K on the stretch of land from Km 535.243 to Km 547.243 (Sub-Divisional Officer Chitalwana) in the district of Jalore in the state of Rajasthan

State: RAJASTHAN District: JALORE					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chitalwana				
	Village: Deora				
1	1354	Private	G. M. Dhani	0.0123	Vadlidevi W/o Hadmataram Motiram Trikmaram vald Savji Kaum Purohit Sah. Deh. Khatedar. Rahan- Trikmaram Ka Hee. Bhartiya State Bank Devada Murtheen. 1354
2	1543	Private	G. M. Dhani	0.0131	Nenaram S/o Tulchhiya Ghamandaram S/o Prahladram Bhuraram Heeraram Raghunatharam vald Devaram Dhapudevi W/o Devaram kaum Meghwanshi sah. Deh. Khatedar Rahan- Nenaram ka hee. 1/3 branch Deora Murtheen. Rahan- Devla ka hee. SBI Branch Deora. 1543
3	1549	Private	G. M. Bera	0.01	Deepa Goma Jodha Maga P. Ruga Kaum Jat Sa.de Khatedar. Rahn - SBI branch Devda, part of Jodha Deepa. 1549
	Village: Nimbau				
4	333	Private	Chahi II Jaav II	0.0219	Bhura Padma Kala vald Dharma Jonuram Chamnaram vald Rupa Kaum Kalbi Sah. Deh. Khatedar. Rahan- Jonuram Chamnaram vald Rupa Akhu Beva Ruparam Ka Hissa JCCB Branch Arnay. 333
5	358	Private	Chahi II Jaav II	0.0144	Fojaram Genaram Tararam Nanjiram vald Bhura Mava vald Ganesha Prabhu, Laxmana Panna s/o Bhaguda Kashnaram, Karmiram, Motiram vald Khedaram Jammudevi w/o Khedaram, Gamanaram, Omprakash, Kriparam

					vald Teja Mafidevi Beva Teja, Vagtaram, Dhakharam, Ashuram vald Jutha Caste Luhaar Sah Deh khatedar 358
			TOTAL	0.0717	

[F. No. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D4]

RAJESH GUPTA, Director